इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगंज एअरफील्ड

अमेठी (भारत)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 4(1) (बी) के अंतर्गत इग्रुआ से संबंधित सूचना

मैनुअल – viii

परिषद, सभा या समिति अथवा अन्य संकाय, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियो से मिलकर बना हो, इसके हिस्से के रूप मे अथवा परामर्श के उद्देश्य से और परिषद सभा या समिति की मंत्रणा अथवा जन सामान्य के लिये खुले अथवा समिति एवम दूसरे संकाय जन सामान्य की पहुच मे हो

अकादमी में तीन निकाय गवर्निंग काउंसिल, हाउसिंग कमेटी एवम मेस कमेटी विद्यमान हैं जिसमे दो अथवा दो से अधिक सदस्य हैं।

सामान्य परिस्थितियों में गवर्निंग काउंसिल की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं और विशेष परिस्थितियों में दो से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं। गवर्निंग काउंसिल इसका सर्वोच्च निकाय है जो इग्रुआ के क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार करता है। ऐसे मामले जिस पर गवर्निंग काउंसिल द्वारा संकल्प पारित किये जाते है के सम्बंध मे जनता के सम्बंधित वर्ग को अवगत कराया जाता है। चयन प्रक्रिया, शुल्क संरचना, इग्रुआ में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों, आरक्षण नीति इत्यादि इग्रुआ की वेबसाइट पर अद्यतन की जाती हैं। इसी प्रकार, कर्मचारियों/अथवा स्टाफ के किसी वर्ग के सम्बंध मे लिए गये निरणयो को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है।

हाउसिंग कमेटी एक आंत्रिक निकाय है जो गठन आवास आवंटन, रिक्त आवासों का आवंटन इत्यादि पर नियम निर्धारण, संशोधन, निरसन जैसे मामलों पर अपनी संस्तुति देती है। हाउसिंग कमेटी मीटिंग मे लिए गये निर्णयों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाति है।

मेस कमेटी का गठन छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण मेस सुविधा और छात्रावासों के उचित रखरखाव के उद्देश से किया गया है। समस्त लाभार्थियों विशेष रूप से फ्लाइंग कैडेट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप मेस कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है। मेस समिति के निर्णयों को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है, और सेवाओं में सुधार के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत किया जाता है।